पटना विश्वविद्यालय
PATNA UNIVERSITY
Estd. 1917

SEMESTER – II

CC – 6

Unit – 4

World war II and its Aftermath

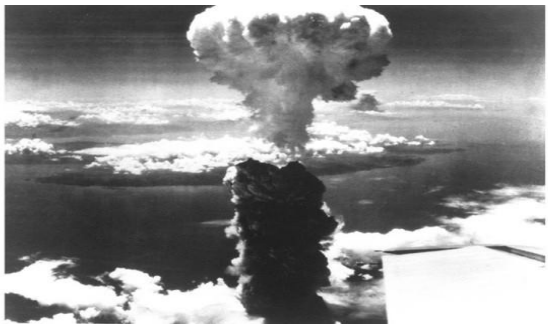

Vetted By:

प्रो. (डॉ) सुरेंद्र कुमार

विभागाध्यक्ष, इतिहास विभाग

पटना विश्वविद्यालय पटना

सम्पर्क: 9835463960

डॉ विद्यानंद विधाता

अतिथि शिक्षक, इतिहास विभाग

पटना विश्वविद्यालय पटना

सम्पर्क: 9472084115

लगभग 20 वर्षों की शांति के उपरांत 1 सितंबर 1939 ईस्वी को पोलैंड पर जर्मनी के सेना द्वारा आक्रमण करने के साथ ही द्वितीय विश्व युद्ध छिड़ गया। ब्रिटेन और फ्रांस ने 3 सितंबर,को जर्मनी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। पोलैंड को बाहर से सहायता ना पहुंचने के कारण जर्मन सेनाओं ने इसे पूरी तरह से जीत लिया। युद्ध की घोषणा के बावजूद कई महीनों तक कोई विशेष लड़ाई नहीं हुई। इसलिए सितंबर 1940 से अप्रैल 1940 के बीच के युद्ध को "नकली युद्ध" की संज्ञा दी गई है। इस दौरान जर्मनी ने 4 अप्रैल, 1939 को नार्वे और डेनमार्क पर आक्रमण कर दिया और तीन सप्ताह के अंदर उसने इन देशों को भी पूरी तरह जीत लिया।शीघ्र ही युद्ध और फैलता चला गया। जर्मन सेना फ्रांस और इंग्लैंड की तरफ बढ़ रही थी। आ नाक्रमण समझौते के बावजूद जर्मनी ने सोवियत संघ पर हमला कर दिया। जापान ने 7 दिसंबर 1941 को हवाई स्थित पर्ल हार्बर के अमेरिकी नौसैनिक अड्डे पर जबरदस्त आक्रमण कर दिया। इसके साथ ही द्वितीय विश्व युद्ध सही अर्थ में विश्वव्यापी हो गया। यूरोप में 7 मई 1945 को जर्मनी के पराजय के साथ तथा 14 अगस्त,1945 को जापान द्वारा आत्म- समर्पण के साथ युद्ध समाप्त हुआ। स्वभाविक है कि शांति स्थापना रखने के अथक प्रयास के बावजूद युद्ध क्यों हुआ।इसके उत्तर में विद्वानों ने कई कारणों के बारे में बतलाया जिसमें कुछ प्रमुख कारण निम्नलिखित है

द्वितीय विश्वयुद्ध, वर्साई की संधि की कठोरता ,वचन विमुखता, प्रथम विश्वयुद्ध से उपजी आर्थिक मंदी,इंग्लैंड की तुष्टिकरण नीति, शस्त्रीकरण, तानाशाहों की राजनीति आदि का परिणाम था।

आलोचकों की स्वीकृति इस बात में निहित है कि द्वितीय विश्व युद्ध का बीज वर्साय की संधि में मौजूद था।इस संधि के तहत की गई व्यवस्था पराजित राष्ट्रों के लिए अत्यंत अपमानजनक तथा कठोर थी। उदाहरण स्वरूप इन संधियों ने जर्मनी का बड़ा ही अपमान किया और जर्मनी को किसी भी विषय पर विचार करने का पर्याप्त अवसर नहीं दिया गया था ।उससे अनेक भूभाग तथा सभी उपनिवेश छीन लिए गए थे । उसके संपूर्ण उपनिवेश को छिन्न-भिन्न कर दिया गया था । उस पर इतना आर्थिक बोझ लाद दिया गया जिससे वह कभी भी उतार नहीं सकता था। उसकी सैनिक तथा सामुद्रिक शक्ति को भी नष्ट कर दिया गया। जर्मनी के प्रतिनिधियों से इस संधि पर जबरदस्ती युद्ध की धमकी देकर हस्ताक्षर कराए गए थे। उससे जो व्यवहार किया गया था, वह बदले की भावना पर आधारित था ना कि न्याय की भावना पर। उसकी राष्ट्रीय भावनाओं को इतनी बुरी तरह कुचल दिया गया था कि उसके स्वाभिमानी नागरिकों तथा राष्ट्रभक्तों में मान-हानि की ज्वाला प्रचंड रूप धारण करके धधक उठी थी। वर्साय संधि की अन्यायपूर्ण प्रावधान एडोल्फ हिटलर के उत्कर्ष में बड़ी सहायता दी थी। यही नहीं कुछ विजित देशों ने भी यह महसूस किया कि वर्साय की संधि में उसको ठग लिया गया क्योंकि उनकी आशाएं पूरी नहीं हो सकी थी। इस प्रकार के देशों का एक अच्छा उदाहरण इटली है ।अतः वर्साय व्यवस्था को द्वितीय विश्व का एक मौलिक कारण माना जाए तो कुछ गलत ना होगा।राष्ट्र संघ के विधान पर हस्ताक्षर करके सभी सदस्य राज्यों ने वादा किया था कि वह सामूहिक रूप से सबकी प्रादेशिक अखंडता और राज्य की रक्षा करेंगे,लेकिन मौका आने पर सब के सब पीछे हट गए ।जापान

चीन पर अपना अधिकार कर लिया ।फ्रांस चेकोस्लोवाकिया के खिलाफ बना रहा। हिटलर चेक राज्य को अपने अधीन करता रहा और ब्रिटेन तथा फ्रांस देखते रहे। इस नीति का एक परिणाम यह हुआ कि छोटे-छोटे देशों का विश्वास जो अपनी रक्षा के लिए बड़े राष्ट्रों पर निर्भर करते थे उससे उठ गया। इससे भी बढ़कर भयंकर दूसरा परिणाम यह हुआ कि धोखेबाजी की नीति से आक्रमण कारियों को काफी प्रोत्साहन मिला। जापान ने चीन पर आक्रमण कर मंचूरिया पर अधिकार कर लिया। अबसिनीया मुसोलिनी के आक्रमक नीति का शिकार बना। मुसोलिनी को सफलता प्राप्त करते देख हिटलर ने ऑस्टिया और चेकोस्लोवाकिया पर धावा बोल दिया। उसने पोलैंड पर भी चढ़ाई कर दी और उसके बाद ही द्वितीय विश्व युद्ध आरंभ हुआ। यदि सभी राष्ट्र अपने दिए गए वचनों का पालन करते और आक्रमण के समय संधि के अनुसार अपने साथियों की मदद करते रहते तो आक्रमकता को प्रोत्साहन नहीं मिलता और द्वितीय विश्व युद्ध छिड़ने से बच जाता।

राष्ट्र संघ की असफलता भी द्वितीय विश्व युद्ध का एक प्रमुख कारण माना जाता है। राष्ट्र संघ की स्थापना मुख्य रूप से अंतरराष्ट्रीय सहयोग को बढ़ाने तथा शांति एवं सुरक्षा की व्यवस्था के लिए की गई थी परंतु वह अपने इन उद्देश्यों को पूरा करने में असफल रहा। राष्ट्र संघ का जन्मदाता विल्सन अमेरिका को इसका सदस्य नहीं बना सका। परिणाम स्वरूप एक शक्तिशाली राष्ट्र के समर्थन एवं सहयोग से वह वंचित रहा। प्रारंभ में पराजित राष्ट्रों को राष्ट्र संघ से वंचित रखना इस बात का घोतक तो हो गया कि राष्ट्र संघ विजयी राष्ट्रों का गुट है ।रूस राष्ट्र संघ को पश्चिमी राष्ट्रों का साम्यवादी रूस के विरुद्ध एक गुट मानता था । यद्यपि 1925 से 1929 तक राष्ट्रसंघ ने कुछ क्षेत्रों में महत्वपूर्ण कार्य किया। इससे प्रभावित होकर 50 राष्ट्रों ने इसकी सदस्यता भी ग्रहण कर ली थी, किंतु जैसे ही बड़े राष्ट्रों का स्वार्थ बढ़ता

गया और या केवल आयोग को की नियुक्ति के अतिरिक्त कुछ नहीं कर रहा था। मित्र राष्ट्रों के इस बात को देखते हुए राष्ट्रसंघ के प्रति लोगों का विश्वास बढ़ता गया। अंतरराष्ट्रीय संकटों के समय राष्ट्रसंघ कोई कारगर उपाय नहीं उठा सका ।इस घटना के पश्चात छोटे-छोटे देशों का राष्ट्र संघ से सुरक्षा पाने का विश्वास समाप्त हो गया । राष्ट्रसंघ के प्रति संदेह और अविश्वास की भावना शीघ्र ही विस्फोटक बनकर युद्ध के रूप में परिवर्तित हो गई।

वर्साय की संधि द्वारा पराजित राष्ट्रों की सेना और हथियारों में अत्यधिक कमी की गई थी, तथा यह आशा की गई थी कि मित्र राष्ट्र भी अपने सैनिक शक्ति में कमी करके समान निरस्त्रीकरण लागू करेंगे । राष्ट्रसंघ के आयोग ने अपनी प्रारूप संधि में सिद्धांत रूप में हथियारों को सीमित करने की सिफारिश की थी । इसी सिफारिश के आधार पर फरवरी 1932 में जिनेवा में निरस्त्रीकरण सम्मेलन प्रारंभ हुआ जिसका उद्देश्य प्रारूप संधि की सिफारिश पर विचार विमर्श करना तथा पूर्ण रूप से निरस्त्रीकरण लागू करने के उपाय सुझाना था। दुर्भाग्य से यह सम्मेलन ऐसे समय में प्रारंभ हुआ जब अंतरराष्ट्रीय कूटनीति बहुत तनावपूर्ण हो चुकी थी।जब निरस्त्रीकरण के लिए सारे प्रयास नाकामयाब हो गए तो पुनः शास्त्रीकरण का दौर शुरू हुआ। इंग्लैंड महान नौसैनिक शक्ति था अतः नौसेना के क्षेत्र में अपना कोई प्रतिद्वंदी नहीं देखना चाहता था। लेकिन प्रथम महायुद्ध के बाद उसे अमेरिका, जापान तथा फ्रांस से भय हो गया था,इसलिए वह अपनी नौसेना में कमी करने को तैयार नहीं था ।कहने को तो अमेरिका निशस्त्रीकरण चाहता था पर वह नौसैनिक शक्ति में किसी से पीछे रहने को तैयार नहीं था । वह जापान के साम्राज्य विस्तार की संभावनाओं से भी भयभीत था। फ्रांस को जर्मनी से अभी भी भय था ।वह अपनी सेना में कमी करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं था। जर्मनी में हिटलर के सत्ता में आते ही

सैन्य क्षेत्र में एक विशाल कार्यक्रम को लागू कर दिया गया ।उसने वर्साय की संधि की अवहेलना करके अपनी सेना एक लाख से बढ़ाकर 800000 कर ली। इससे अन्य देशों में असुरक्षा की भावना उत्पन्न हो गई। ऐसी भावना फ्रांस में विशेष रुप से देखने को मिली। ऐसे ही परिस्थिति में रूस 1934 में राष्ट्र संघ का सदस्य बना। 1934 ईस्वी से पहले ब्रिटेन तथा जर्मनी की प्रतिद्वंद्विता का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र नौसेना था लेकिन 1930 के बाद यह प्रतिद्वंदिता व वायु सेना के क्षेत्र में होने लगी।

इससे तनाव बढ़ता गया और यह तनाव पूरी दुनिया को एक और युद्ध में धकेल दिया।

उग्र राष्ट्रवाद की भावना भी द्वितीय विश्व युद्ध का एक प्रमुख कारण था ।इस समय तक विश्व में औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप आर्थिक प्रतिस्पर्धा बढ़ने लगी थी। आर्थिक राष्ट्रवाद युद्ध के लिए उत्तरदायी था। प्रथम विश्वयुद्ध के बाद इस राष्ट्रवाद पर नियंत्रण स्थापित करने की आवश्यकता महसूस की जाने लगी थी। विल्सन ने इसी उद्देश्य से राष्ट्र संघ को पेरिस की शांति संधि का अविभाज्य अंग बनाया। किंतु इसके बाद अंतरराष्ट्रीयता कि भावना नहीं पनप सकी और विभिन्न राज्यअपने राष्ट्रीय हितों एवं स्वार्थों को सर्वोपरि मानते रहे। इटली जर्मनी तथा जापान में उग्र राष्ट्रवाद का प्रभाव बढ़ने लगा वहां राष्ट्रवाद का लक्ष्य राष्ट्र की भक्ति एवं गौरव के लिए आर्थिक साधनों पर राज्य का पूर्ण नियंत्रण स्थापित करके आक्रमक नीतियों का आश्रय लिया जाने लगा। हिटलर ने सर्वश्रेष्ठ प्रजाति की भावना को राष्ट्र की महानता का आधार बनाया और वर्साय की अन्याय पूर्ण संधि द्वारा किए गए राष्ट्रीय अपमान का प्रतिशोध लेने की इच्छा को उद्धृत किया। राष्ट्रीयता की भावना को तेज करने में आर्थिक मंदी ने भी महत्वपूर्ण

भूमिका निभाई थी। वास्तव में आर्थिक संकट ने विश्व की राजनीतिक एवं आर्थिक स्थिरता को हमेशा के लिए समाप्त कर दिया।

द्वितीय विश्व युद्ध का एक प्रमुख कारण तानाशाओ का सत्ता में आना था। इसमें हिटलर एवं मुसोलिनी का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। प्रथम विश्व युद्ध के बाद जर्मनी में वाइमार गणतंत्र की स्थापना हुई थी, किंतु जर्मनी की मिट्टी लोकतंत्र को पनपने देने के अनुकूल नहीं थी। नाजियों के उदय के पूर्व इसी गणतंत्र की व्यवस्था रही किंतु इसका आधार ही बहुत कमजोर था। लोकतंत्र के आवरण में सैनिक और लोक सेवा के कर्मचारियों की महत्ता बनी रही। इसके अतिरिक्त भाई वाईमर गणतंत्र को अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। महायुद्ध एवं शांति योजना से जर्मनी में अनेक आर्थिक और सामाजिक समस्याएं उत्पन्न हो गई थी। क्षतिपूर्ति का पूरा भार जर्मनी पर ही ला दिया गया था। यह एक बहुत बड़ी रकम थी,जिसकी पूर्ति करना जर्मनी के लिए संभव नहीं था । मित्र राष्ट्र जर्मनी की आर्थिक स्थिति पर ध्यान दिए बिना की क्षतिपूर्ति की रकम वसूलते थे ।इसके कारण जर्मनी में एक भीषण आर्थिक संकट उत्पन्न हो गया तथा बेकारी की समस्या गंभीर हो गई थी। जर्मन सिक्का का मूल्य गिर गया था। ऐसा लग रहा था कि जैसे जर्मनी का नाम सदा के लिए यूरोपिय मानचित्र से हट जाएगा। जब जर्मनी इस स्थिति से गुजर रहा था उसी समय हिटलर का उदय हुआ। हिटरल की नीतियों ने अंततः पूरे विश्व को एक और युद्ध में धकेल दिया।

द्वितीय विश्व युद्ध का अन्य एक प्रमुख कारण इटली में मुसोलिनी का उदय था। जैसा की ज्ञात है कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान शुरुआती दौर में इटली धुरी राष्ट्रों की ओर था, लेकिन जल्द वह अपना पाला बदलते हुए मित्र राष्ट्रों के खेमे में शामिल हो गया था। पेरिस शांति सम्मेलन में वह इस आशा के साथ शामिल हुआ

था कि उसे ऑस्ट्रिया के कुछ इलाके मिलेंगी और अफ्रीका मे साम्राज्य विस्तार का मौका मिलेगा, परंतु यह सारी आशाएं अमेरिकी राष्ट्रपति विल्सन के कारण धाराशाही हो गई। इससे इटली में असंतोष बढ़ता गया। इसका लाभ फासिस्ट वादी विचारधारा के प्रवर्तक मुसोलिनी ने उठाया। एक तंत्र वादी सत्ता में विश्वास करने वाले मुसोलिनी की देखा देखी कई राष्ट्रों ने उसके रास्ते पर चलने का निर्णय लिया, जिससे पूरे विश्व में तनाव बढ़ता गया । इटली ने 1935 ईसवी में इथोपिया पर आक्रमण कर दिया और राष्ट्र संघ के विरोध के बावजूद आक्रमण जारी रखा और 1936 में इथोपिया पर अधिकार कर लिया। पूंजीवाद साम्राज्यवाद तो पहले से ही विश्व को युद्ध की ओर घसीट रहे थे। युद्ध के बाद फासिस्ट वाद के उदय ने संसार के वातावरण को और विषाक्त बना दिया इटली की सफलता ने आक्रमणकारियों का हौसला बढ़ाया और इसके बाद ही उन घटनाओं के लिए मार्ग खुल गया जिनको लेकर द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हुई।

द्वितीय विश्व युद्ध का एक अन्य प्रमुख कारण ब्रिटेन की तुष्टीकरण की नीति को भी माना जाता है।द्वितीय विश्व युद्ध से पूर्व के तीन वर्षों में ब्रिटेन की नीति थी कि जर्मनी एवं इटली के साथ अच्छे संबंध रखे जाएं तो युद्ध को टाला जा सकता है। ब्रिटेन, इटली और जर्मनी के साथ किए गए वर्साय की संधि के अंतर्गत अन्यायपूर्ण व्यवस्था को भी धीरे-धीरे सुधारना चाहता था। मुसोलिनी चाहता था कि उत्तरी तथा पूर्वी अफ्रीका में इटली को उपनिवेश दिए जाएं। ब्रिटेन ने उसकी इस मांग का समर्थन किया। ब्रिटेन के माल कि जर्मनी में अच्छी खपत थी,इसलिए यह जर्मनी को हर कीमत पर खुश रखना चाहता था। लेकिन विडंबना तो यह है कि अपने लाभो के लिए ब्रिटेन जर्मनी में पुनः शस्त्रीकरण के कार्यक्रम में सहयोग कर रहा था। जापान में सैन्यवादी सरकार की सत्ता में आने पर उसने 1931 ईस्वी में चीन पर आक्रमण कर दिया ।उसने राष्ट्र संघ के आक्रमण रोकने

के लिए जापान के विरुद्ध अनुशासित करवाई करने को कहा परंतु कोई सुनवाई नहीं हुई। इंग्लैंड ने फ्रांस के साथ मिलकर इस अपील के प्रति उदासीनता दिखाई। यही नहीं जब जर्मनी इटली तथा जापान 1937 में साम्यवादी विरोधी समझौते द्वारा एक सूत्र में बंध रहे थे तो भी ब्रिटेन ने कोई विरोध नहीं किया। ब्रिटेन की इस तुष्टिकरण की नीति का उद्देश्य, इन तीनों अधिनायकवाद शक्तियों रूस के विरुद्ध प्रयोग करना था। इस नीति ने सामूहिक सुरक्षा की धारणा को धराशाई कर दिया जिसने द्वितीय विश्व युद्ध के लिए वातावरण तैयार कर दिया।

इस प्रकार कहा जा सकता है कि द्वितीय विश्व युद्ध विभिन्न देशों की साम्राज्यवादी आकांक्षाओं का परिणाम था। अपने- अपने लाभ को देखते हुए शक्तिशाली राष्ट्र द्वारा अपनायी गई तुष्टिकरण की नीति ने भी द्वितीय विश्व युद्ध को जन्म दिया। इस विश्व युद्ध में उन घातक हथियारों का प्रयोग किया गया जिसका अंजाम मानव समुदाय के लिए काफी घातक रहा ।खासकर जापान के दो शहरों हिरोशिमा और नागासाकी पर अमेरिका ने परमाणु बम गिराए और उसका जो दुष्परिणाम सामने आया, उससे लोग आज भी भुगत रहे हैं। लेकिन इसका एक लाभ यह भी हुआ की उन दुष्परिणामों को देखते हुए आज तक पुनः उस परमाणु बम का प्रयोग करने की हिम्मत किसी राष्ट्र को नहीं हुई ।युद्ध के पश्चात 24 अक्टूबर,1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई। कई नाकामियों के बावजूद या संगठन आज तक विश्व युद्ध को होने से रोक कर रखा हुआ है। यही इसकी सबसे महत्वपूर्ण सफलता मानी जा सकती हैं।

Suggested Readings :

1. E. H. Carr – International Relations between the Two world Wars – 1919, 1939.
2. Partha Sarthi Gupta – यूरोप का इतिहास, भाग–2
3. लाल बहादुर वर्मा – यूरोप का इतिहास, भाग–2
4. देवेंद्र सिंह चौहान – समकालीन यूरोप, भाग–2